

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 पिथौरागढ़।										अनुरोध के आधार पर									
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17(ख) (तीन) में उल्लिखित प्राविधानानुसार सेवारत पति-पत्नी जिनके पुत्र/पुत्री विकलांग हों, के स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों द्वारा उपलब्ध कराये गये विकल्पों का विवरण-																			
प्र0अ0 प्राथमिक																			
क्र. सं.	कार्मिक का नाम	कार्यरत विद्यालय / विकास खण्ड / जनपद /	प्रथम नियुक्ति तिथि	राजकीय सेवा में कुल सेवा अवधि (दिनांक 31-05- 2026 तक)	वर्तमान विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की तिथि	वर्तमान विद्यालय में ठहराव की कुल अवधि	संस्था का नाम (जिसके द्वारा बीमारी का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है)	परिवार रजिस्टर की नकल अथवा शपथ पत्र	स्थानान्तरण हेतु विकल्पित विद्यालय (विकासखण्ड)										अन्य विवरण
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
शून्य आवेदन पत्र																			

